रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2009/कार्तिक 26, 1931

No. 662] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2009/KARTIKA 26, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 828(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 30 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन, सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रु. प्रति वर्ष की दर से संगणित की जाएगी किंतु यह इस शर्त के अधीन होगी कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम, ऐसी किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अंतर्गत ऐसी पेंशन, यदि कोई हो, का सारांशित भाग भी है, जो अधिकरण में पद धारण करते हुए प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का वह हकदार है, चार लाख अस्सी हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।"

[सं. 2008/टी सी (आर सी टी)/1-5]

सुनील कुमार, सलाहकार, जन शिकायत

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से 1 जनवरी, 2006 से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि रेल दावा अधिकरण के किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पणी : रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् (1) सा.का.नि. 726(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991, (2) सा.का.नि. 185(अ), तारीख 11 अप्रैल 1996, (3) सा.का.नि. 733(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2000, (4) सा.का.नि. 386(अ), तारीख 25 मई, 2001, (5) सा.का.नि. 625(अ), तारीख 29 अगस्त, 2008 और (6) सा.का.नि. 797(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 828(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of Section 30 and Section 30A of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall be deemed to have come in force with effect from the 1st day of January, 2006.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Pension under sub-rule(1) shall be calculated at the rate of rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum for each completed year of service subject to the condition that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees four lakh eighty thousand per annum."

[No. 2008/TC(RCT)/1-5]

SUNIL KUMAR, Adviser, Public Grievances

EXPLANATORY MEMORANDUM

With a view to implement the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding Central Government Employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairman and Members with effect from the 1st day of January, 2006. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Railway Claims Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note : The Railway Claims Tribunal (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, were published in the Gazette of India, *vide*, Notification No. G.S.R. 844(E), dated 19th September, 1989 and subsequently amended by (1) G.S.R. 726(E), dated 6th December, 1991, (2) G.S.R. 185(E), dated 11th April, 1996, (3) G.S.R. 733(E), dated 21st December, 2000, (4) G.S.R. 386(E), dated 25th May, 2001, (5) G.S.R. 625(E), dated 29th August, 2008 and (6) G.S.R. 797(E), dated 18th November, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.